न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

दावा संख्या - 05/2018

1- शंकर लाल पुत्र भैरू जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी - ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)

.... वादी

बनाम

1- जगदीश पुत्र नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी - नायला

2. महेश पुत्र नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी - नायला

3- भोली देवी पत्नि नारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी - ग्राम नायला

4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर

5- उपपंजीयक मय उप तहसील आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर० टी० एक्ट

निर्णय दिनांक 15/01/2018

वादी ने एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ़ जिला-जयपुर के आराजी

P.T.O →

खसरा नम्बर 125 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि है। जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है। जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व जमाबन्दी में दर्ज है। जिसका राजस्व जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का विधिक बंटवारा सरस-नरस व कब्जा व हिस्सा अनुसार करवाने का वादी कानूनन अधिकारी है।

विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार साधिकार काबिज है। तथा राजस्व लगान अपने-अपने हिस्से अनुसार राजस्व में जमा कराते आ रहे है। जिसका विधिक बंटवारा सरस-नरस अनुसार किया जावे। लेकिन प्रतिवादीगण के मन में फितूर आ जाने के कारण बिना विधिक बंटवारा किये बिना जबरन लठ बल के आधार पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा है। जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिक बंटवारा किये बिना बेचान करने व कच्चा-पक्का निर्माण करने का अधिकार नहीं है प्रतिवादीगण को वादी बंटवारा करने को कई बार निवेदन कर चुका है, किन्तु प्रतिवादीगण बंटवारा करवाने को तैयार नहीं है इसलिये वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी ने वाद पत्र के मद सं0 1 लगायत 14 में वर्णित अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर वाके ग्राम नापला

P.T.O. →

तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के खसरा नम्बर 125 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के 1/2 हिस्से अनुसार व सरह-नरस व कब्जे अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर इसी अनुसार वादी का पर्था लगान पृथक से कायम किये जाने हेतु निवेदन किया है।

उक्त वाद को कार्यालय रिकार्ड लेकर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगणों को तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा व एक प्रार्थना पत्र प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत प्रार्थना में बंटवारा करने की सहमति दी।

दिनांक 05/01/2018 को उभय पक्षों की बहस सुनने व सहमति अनुसार वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार (भू-अभिधारी) को निर्देश दिये गये कि दोनों पक्षों को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में कुर्रेजात के प्रस्ताव तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट तीन-तीन प्रतियों में अलग-अलग रंग भरकर भिजवावें। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर ने अपने पत्रांक / LR/18/ 141 दिनांक 10/1/18 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को पत्रावली के रिकार्ड पर लिया गया। तथा पत्रावली को कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति एवं बहस हेतु रखा गया। दिनांक 15/01/2018 को प्राप्त कुर्रेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई बहस उभय पक्षों की सुनी गई। बहस सुनने व

P.T.O.

पत्रावली का अवलोकन करने पर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित की जाती है।

1- शंकर पि० मु० भेरू जाति हरि० ग्रा० सा० देह को खसरा 126 रकबा 2॥)४ किस्म चाही A लगान 32.98 रुपये कायम किया जाता है।

2- जगदीश, महेश पि० नारायण, भोली पत्नि स्व० नारायण निवासी हरि० ग्रा० सा० देह को खसरा नं०- 126/1 रकबा 2॥)३ किस्म चाही A लगान 32.97 रुपये कायम किया जाता है

3- शामलात जमावन्दी बहादुर खसरा नं० 125 रकबा)४ गैर मु० आबादी व चाह कायम किया जाता है

उपरोक्तानुसार वाद में अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। बाद अमल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2010 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़